



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc2.lko-mef@nic.in, goimofra@ic@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ.सी./21111

दिनांक : 05.12.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/16134/2015**

विषय: जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 किमी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 255/11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, दिनांक 28.07.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1177/81-2-2020-800(125)/2016, दिनांक 11.08.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. DFO to initiate proceedings in accordance with clause 3A and 3B of FCA guidelines, against the authority which has passed orders for use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Central Govt. Action taken Report needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
5. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि0(एस्सार ऑयल लि0) अरिहंत काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1397 /11-सी-FP/UP/Others/16134/2015, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 07, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहंत काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।